

2009 का विधयेक सं. 4

महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर  
विधयेक, 2009

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राज्य में महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधयेक।

यतः विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके ;

और यतः ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, उच्चतर शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है ;

और यतः श्याम लाल पंवार आनन्दी देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर जो कि राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पूर्त न्यास है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रामनगर विस्तार, न्यू सांगानेर रोड़ सोडाला, जयपुर में स्थित है, विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगा हुआ है और ऐसी कई संस्थाएं चला रहा है जो प्रबन्धन, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, फार्मसी, नर्सिंग, शिक्षा इत्यादि जैसी शाखाओं में शिक्षा प्रदान कर रही हैं ;

और यतः उक्त श्याम लाल पंवार आनन्दी देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर ने राजस्थान राज्य में ग्राम कांट कालवाड़, तहसील

आमेर, जिला जयपुर में अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट, भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं और उक्त अवसंरचना का अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसंधान और अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में विनिधान के लिए सहमत हो गया है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए एक करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है ;

और यतः उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर, विशेषाधिकारी, उच्चतर शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर और निदेशक, पोद्दार प्रबंधन संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर थे ;

और यतः, यदि पूर्वोक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त श्यामलाल पंवार आनन्दी देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर को विश्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के शैक्षणिक विकास में योगदान होगा ;

अतः अब भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ .-** (1) इस अधिनियम का नाम महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह 9 अक्टूबर, 2008 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

**2. परिभाषाएं .-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अ.भा.त.शि.प." से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है ;

- (ख) "वै.औ.अ.प." से केन्द्रीय सरकार की वित्तपोषण एजेन्सी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली अभिप्रेत है ;
- (ग) "दू.शि.प." से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 50) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
- (घ) "दूरस्थ शिक्षा" से संचार अर्थात् प्रसारण, टेलीकॉस्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किसी भी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गयी शिक्षा अभिप्रेत है ;
- (ङ) "वि.प्रौ.वि." से केन्द्रीय सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है ;
- (च) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं ;
- (छ) "फीस" से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से किसी भी प्रकार के किसी भी नाम से किया गया संग्रहण अभिप्रेत है जो प्रतिदेय नहीं है ;
- (ज) "सरकार" से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;
- (झ) "उच्चतर शिक्षा" से 10+2 स्तर के ऊपर ज्ञान के अध्ययन के लिए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है ;
- (ञ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं या केन्द्रों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में संधारित या मान्यताप्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;
- (ट) "भा.कृ.अ.प." से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है;

- (ठ) "भा.आ.प." से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 102) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अभिप्रेत है ;
- (ड) "रा.नि.प्र.प." से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था-राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्, बंगलोर अभिप्रेत है ;
- (ढ) "रा.अ.शि.प." से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 73) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है ;
- (ण) "निवेश बाह्य केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य निवेश के बाहर स्थापित उसका, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और संधारित कोई केन्द्र अभिप्रेत है जिसमें विश्वविद्यालय की पूरक सुविधाएं, संकाय और स्टाफ हो ;
- (त) "भा.औ.प." से भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 8) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय औषध परिषद् अभिप्रेत है ;
- (थ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिणियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (द) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या अधीन स्थापित या गठित कोई निकाय जैसे वि.अ.आ., अ.भा. त.शि.प., रा.अ.शि.प., भा.आ.प., भा.औ.प., रा.नि.प्र.प., भा.कृ.अ. प., दू.शि.प., वै.औ.अ.प. आदि अभिप्रेत है और इसमें राज्य सरकार सम्मिलित है ;
- (ध) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं ;
- (न) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

- (प) "प्रायोजक निकाय" से श्याम लाल पंवार आनन्दी देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर अभिप्रेत है जो राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं.42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक पूर्त न्यास है और जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. 47, जयपुर, 2003 दिनांक: 24.11.2003 है;
- (फ) "परिनियम", "आर्डिनेन्स" और "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत हैं ;
- (ब) "विश्वविद्यालय का छात्र" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए, जिसमें अनुसंधान उपाधि सम्मिलित है, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो ;
- (भ) "अध्ययन केन्द्र" से दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में सलाह देने, परामर्श करने या छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और संधारित या मान्यताप्राप्त कोई केन्द्र अभिप्रेत है ;
- (म) "अध्यापक" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (य) "वि.अ.आ." से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ; और
- (यक) "विश्वविद्यालय" से महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर अभिप्रेत है ।

**3. निगमन .-** (1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति और प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी

व्यक्तियों, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, से इसके द्वारा महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जाता है।

(2) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट जंगम और स्थावर संपत्ति विश्वविद्यालय में निहित की जायेगी और प्रायोजक निकाय इस अधिनियम का प्रारंभ होने के ठीक पश्चात् ऐसा निहित करने के लिए कदम उठायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय ग्राम कांट कालवाड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर में अवस्थित होगा और वहीं उसका मुख्यालय होगा।

**4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.—** विश्वविद्यालय के उद्देश्य अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में और ऐसी अन्य शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर अवधारित करे, अनुसंधान और अध्ययन हाथ में लेने तथा उक्त शाखाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने और ज्ञान के प्रसार करने के हैं।

**5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.—** विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में शिक्षण का उपबंध करना और अनुसंधान और ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए उपबंध करना ;
- (ख) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को परीक्षाओं, मूल्यांकन या किसी भी अन्य रीति से परीक्षण के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देना और उपाधियां या अन्य शैक्षणिक उपाधियां प्रदान करना, और ठोस और पर्याप्त कारण से किन्हीं भी ऐसे डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य शैक्षणिक उपाधियों को वापस लेना ;

- (ग) निवेश बाह्य अध्ययन और विस्तार सेवा आयोजित करना और हाथ में लेना ;
- (घ) विहित रीति से मानद उपाधियां या अन्य उपाधियां प्रदान करना ;
- (ङ) पत्राचार सहित शिक्षण और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम, जो अवधारित किये जायें, का उपबंध करना ;
- (च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन, या शैक्षणिक पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्ति करना ;
- (छ) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों को सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना ;
- (ज) स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत विनिर्दिष्ट ज्ञान वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना ;
- (झ) किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारी या संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए सहकार करना, सहयोग करना या सहयुक्त करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे ;
- (ञ) अध्ययन केन्द्र स्थापित करना, और अनुसंधान और शिक्षण के लिए विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों का संधारण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं ;
- (ट) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना ;
- (ठ) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना करना और उनका संधारण करना ;
- (ड) अनुसंधान और परामर्श के लिए उपबंध करना, और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थानों या निकायों के साथ ऐसे समझौते करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;



- (ढ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई भी अन्य रीति सम्मिलित हो सकेगी ;
- (ण) फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और संदाय प्राप्त करना ;
- (त) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना ;
- (थ) छात्राओं के संबंध में ऐसी विशेष व्यवस्थाएं करना जिन्हें विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;
- (द) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और विद्यार्थियों में अनुशासन का विनियमन और प्रवर्तन करना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाये ;
- (ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के उन्नयन के लिए व्यवस्था करना ;
- (न) दान प्राप्त करना और किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना, प्रबंध करना और व्ययन करना ;
- (प) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए, प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से धन उधार लेना ;
- (फ) प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति को बंधक या आडमान रखना ;
- (ब) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना ;
- (भ) यह सुनिश्चित करना कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों इत्यादि का स्तर उससे कम नहीं हो जो अ.भा.त.शि.प., रा.अ.शि.प., वि.अ.आ., भा.आ.प., भा.औ.प. और शिक्षा के विनियमन के लिए तत्समय प्रवृत्त

किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित वैसे ही अन्य निकायों द्वारा अधिकथित किये गये हों ;

- (म) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, राज्य के भीतर या बाहर बाह्य निवेश केन्द्र स्थापित करना ; और
- (य) ऐसे सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी उद्देश्यों या उनमें से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

**6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना.-** विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

**7. संबद्ध करने की शक्ति का न होना.-** विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था को संबद्ध करने या अन्यथा अपने विशेषाधिकार देने की शक्ति नहीं होगी।

**8. विन्यास निधि.-** (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र एक करोड़ रुपये की राशि से, जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को जमा करवा दी गयी है, विन्यास निधि स्थापित की जायेगी।

(2) विन्यास निधि का प्रतिभूति निक्षेप के रूप में उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है और इस अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनमेंसों के उपबंधों के अनुसार कार्य करता है। यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनमेंसों, विनियमों या नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार को सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसका भाग विहित रीति से समपहृत करने की शक्ति होगी।

(3) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोजन विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जा सकेगा किन्तु उसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जायेगा।

(4) विन्यास निधि की रकम, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी या प्रत्याभूत दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विश्वविद्यालय के नाम से विनिहित की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक विनिहित रखी जायेगी या सरकारी खजाने में ब्याज वाले प्रायोजक निकाय के व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक जमा रखी जायेगी।

(5) दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विनिधान के मामले में प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र राज्य सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे और सरकारी खजाने में ब्याज वाले व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा के मामले में जमा इस शर्त पर की जायेगी कि रकम राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना नहीं निकाली जायेगी।

**9. साधारण निधि.**— विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे साधारण निधि कहा जायेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगा, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार ;
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय ;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों के अनुसरण में दी गयी परामर्शी सेवा और किये गये अन्य कार्य से प्राप्त आय ;
- (घ) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान ; और
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां।

**10. साधारण निधि का उपयोजन.**— साधारण निधि का उपयोजन, विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित सभी आवर्ती या अनावर्ती व्ययों को पूरा करने में किया जायेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जायें, के बाहर, प्रबन्ध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायेगा।

**11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.**— विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

- (i) कुलाधिपति ;

- (ii) कुलपति ;
- (iii) प्रतिकुलपति ;
- (iv) प्रोवोस्ट ;
- (v) कुलानुशासक ;
- (vi) संकायों के संकायाध्यक्ष ;
- (vii) कुल-सचिव ;
- (viii) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी ; और
- (ix) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

**12. कुलाधिपति.**— (1) कुलाधिपति, राज्य सरकार की सहमति से प्रायोजक निकाय द्वारा, उसके पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जायेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु कुलाधिपति, उसकी पदावधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) कुलाधिपति के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर भरी जायेगी।

(3) कुलाधिपति, उसके पदाभिधान से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(4) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, प्रबंध बोर्ड की बैठकों की और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(5) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

- (क) विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में किसी भी सूचना या अभिलेख की अपेक्षा करना ;
- (ख) कुलपति नियुक्त करना ;

(ग) धारा 13 की उप-धारा (8) के उपबंधों के अनुसार कुलपति को हटाना ; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

**13. कुलपति.—** (1) कुलपति की नियुक्ति प्रबंध बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उप-धारा (8) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वह व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह और कि कुलपति उसकी अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारित करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) कुलपति के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर भरी जायेगी।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा।

(4) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(5) यदि कुलपति की राय में किसी भी ऐसे मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सर्वप्रथम अवसर पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता :

परन्तु यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह और कि जहां कुलपति द्वारा की गयी ऐसी कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो ऐसा व्यक्ति, उसे संसूचित ऐसी कार्रवाई की तारीख से तीन मास के भीतर—भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा और प्रबंध बोर्ड, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को पुष्ट या उपांतरित कर या उलट सकेगा।

(6) यदि, कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई भी विनिश्चय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनमेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संबंधित प्राधिकारी को उसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर—भीतर विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकेगा और यदि वह प्राधिकारी ऐसे विनिश्चय का पुनरीक्षण करने से इनकार करता है या विफल रहता है तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या आर्डिनमेंसों द्वारा विहित किये जायें।

(8) यदि कुलाधिपति का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि कुलपति का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, कुलपति से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

**14. प्रतिकुलपति.—** (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा कुलपति के परामर्श से की जायेगी।

(2) प्रतिकुलपति तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेगा और दूसरी पदावधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) प्रतिकुलपति की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(4) यदि कुलाधिपति का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रतिकुलपति का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, प्रतिकुलपति से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व प्रतिकुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(5) प्रतिकुलपति, ऐसे मामलों में, जो कुलपति द्वारा उसे समय-समय पर समनुदेशित किये जायें, कुलपति की सहायता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।

**15. प्रोवोस्ट.**— (1) प्रोवोस्ट की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) प्रोवोस्ट विश्वविद्यालय में अनुशासन को सुनिश्चित करेगा और अध्यापकों और कर्मचारियों के विभिन्न संघों को विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सूचित करेगा।

(3) प्रोवोस्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**16. कुलानुशासक.**— (1) कुलानुशासक की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) कुलानुशासक छात्रों में अनुशासन बनाये रखने और विभिन्न छात्र संघों को विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सूचित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलानुशासक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**17. संकाय का संकायाध्यक्ष.**— (1) प्रत्येक संकाय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) संकायाध्यक्ष, कुलपति के परामर्श से, जब कभी भी अपेक्षित हो, संकाय की बैठक बुलायेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। वह संकाय की नीतियां और विकास कार्यक्रम बनायेगा और उन्हें समुचित प्राधिकारियों को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(3) संकाय का संकायाध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**18. कुल-सचिव.**— (1) कुल-सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) विश्वविद्यालय की ओर से कुल-सचिव द्वारा सभी संविदाएं हस्ताक्षरित और सभी दस्तावेज तथा अभिलेख अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

(3) कुल-सचिव प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् का सदस्य-सचिव होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**19. मुख्य वित्त और लेखाधिकारी.**— (1) कुलपति द्वारा मुख्य वित्त और लेखाधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) मुख्य वित्त और लेखाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**20. अन्य अधिकारी.**— (1) विश्वविद्यालय इतने अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जितने उसके कृत्यकरण के लिए आवश्यक हों।

(2) ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।



**21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.—** विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-

- (i) प्रबन्ध बोर्ड ;
- (ii) विद्या परिषद् ;
- (iii) संकाय ; और
- (iv) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

**22. प्रबन्ध बोर्ड.—** (1) विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

- (क) कुलाधिपति ;
- (ख) कुलपति ;
- (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्देशित पांच व्यक्ति जिनमें दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे;
- (घ) विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंध या सूचना प्रौद्योगिकी का कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक विशेषज्ञ ;
- (ङ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ ;
- (च) आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा या उसका नामनिर्देशिनी, जो उप सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो ; और
- (छ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो अध्यापक ।

(2) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। विश्वविद्यालय की समस्त जंगम और स्थावर संपत्ति प्रबंध बोर्ड में निहित होगी। उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

- (क) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनंसों, विनियमों या नियमों द्वारा उपबंधित हैं, साधारण अधीक्षण और निदेशन का उपबंध करना और विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर नियंत्रण करना ;

- (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों द्वारा किए गये विनिश्चयों का उस दशा में पुनरीक्षण करना, जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनमेंसों, विनियमों या नियमों के अनुरूप न हों ;
- (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना ;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियां अधिकथित करना ;
- (ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय का सहज कृत्यकरण संभव न हो ; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।
- (3) प्रबन्ध बोर्ड की किसी कलेंडर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।
- (4) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी।

**23. विद्या परिषद् .-** (1) विद्या परिषद् में कुलपति और इतने अन्य सदस्य होंगे जितने परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) कुलपति विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा।

(3) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षिक निकाय होगी और इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनमेंसों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों में समन्वय रखेगी और उन पर साधारण अधीक्षण का प्रयोग करेगी।

(4) विद्या परिषद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

**24. अन्य प्राधिकारी .-** विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**25. प्राधिकारी की सदस्यता के लिए निरर्हता.**— कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किन्हीं भी प्राधिकारियों का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह —

- (क) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है ;
- (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है ;
- (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ;
- (घ) प्राइवेट कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लग रहा है ; या
- (ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है।

**26. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.**— विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

**27. आपात रिक्तियों का भरा जाना.**— किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या उसे हटाये जाने के कारण या जिस हैसियत से उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था उसमें परिवर्तन होने के कारण विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की सदस्यता में हुई कोई भी रिक्तियां यथासंभव शीघ्र ऐसे व्यक्ति या ऐसे निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने ऐसे सदस्य को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया था :

परन्तु किसी आपात रिक्ति के आधार पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, केवल शेष अवधि के लिए ऐसे प्राधिकारी का सदस्य रहेगा।

**28. समिति.**— विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे निर्देश—निबंधनों सहित इतनी समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए

आवश्यक हों। ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**29. परिनियम.—** (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कृत्य जो समय-समय पर गठित किये जायें ;
- (ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और उसकी शक्तियां और कृत्य ;
- (ग) कुल-सचिव और मुख्य वित्त और लेखाधिकारी की नियुक्ति की रीति और निबंधन और शर्तें और उनकी शक्तियां और कृत्य ;
- (घ) वह रीति जिससे और ऐसी कालावधि जिसके लिए प्रोवोस्ट और कुलानुशासक नियुक्त किये जायेंगे और उनकी शक्तियां और कृत्य ;
- (ङ) वह रीति जिससे संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा और उसकी शक्तियां और कृत्य ;
- (च) अन्य अधिकारियों और अध्यापकों की नियुक्ति की रीति और निबंधन और शर्तें और उनकी शक्तियां और कृत्य ;
- (छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें और उनके कृत्य ;
- (ज) अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;
- (झ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना ;
- (ञ) छात्रों को अध्यापन फीस के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;
- (ट) स्थानों के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबंधित उपबंध ;

- (ठ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से संबंधित उपबंध ;
- (ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या से संबंधित उपबंध ;
- (ढ) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारियों का सृजन ;
- (ण) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;
- (त) नये विभागों का सृजन और विद्यमान विभागों का समापन या पुनः संरचना ;
- (थ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना ;
- (द) पदों के सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया ;
- (ध) फीस का पुनरीक्षण ;
- (न) विभिन्न पाठ्य विवरणों में स्थानों की संख्या का परिवर्तन ;  
और
- (प) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिणियमों द्वारा विहित किये जाने हैं या विहित किये जायें।

(2) विश्वविद्यालय के परिणियम प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाये जायेंगे और राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये परिणियमों पर विचार करेगी और ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, सहित, जो वह आवश्यक समझे, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर उनका अनुमोदन करेगी।

(4) विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित परिणियमों पर अपनी सहमति से संसूचित करेगा और यदि वह उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये किन्हीं भी या समस्त उपांतरणों को प्रभावी करने का इच्छुक नहीं है तो वह उसके लिए कारण दे सकेगा और ऐसे कारणों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(5) राज्य सरकार उसके द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित परिणियमों को राजपत्र में प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात् परिणियम ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**30. आर्डिनेन्स.—** (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी मामलों के संबंध में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन ;
- (ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;
- (ग) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान किये जाने और अभिप्राप्त किये जाने के संबंध में किये जाने वाले उपाय ;
- (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किये जाने की शर्तें ;
- (ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्यों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन ;
- (च) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ;
- (छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;
- (ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में उपबंध ;
- (झ) ऐसे किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाये ;
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहकार और सहयोग की रीति ; और
- (ट) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित किये जाने अपेक्षित हों।

(2) विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स विद्या परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे जिन्हें प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तुत आर्डिनेन्सों पर राज्य सरकार, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर विचार करेगी और या तो उन्हें अनुमोदित करेगी या उनमें उपान्तरण के लिए सुझाव देगी।

(4) विद्या परिषद्, या तो राज्य सरकार के सुझावों को सम्मिलित करते हुए आर्डिनेन्सों को उपान्तरित करेगी या राज्य सरकार द्वारा दिये गये किन्हीं भी सुझावों को सम्मिलित न करने के कारण देगी और ऐसे कारण, यदि कोई हों, के साथ आर्डिनेन्स राज्य सरकार को वापस भेजेगी और उनकी प्राप्ति पर राज्य सरकार विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेगी और विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी।

**31. विनियम.-** विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, प्रबन्ध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यक्ष रहते हुए अपने स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम बना सकेंगे।

**32. प्रवेश.-** (1) विश्वविद्यालय में प्रवेश सर्वथा योग्यता के आधार पर किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समान पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य की किसी एजेन्सी द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार होगा।

**33. फीस संरचना.**— (1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के अनुमोदन के लिए भेजेगा।

(2) समिति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित फीस —

(क) निम्नलिखित के लिए, अर्थात् :—

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए स्रोत जुटाने के लिए ; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए ;

पर्याप्त है ; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है,

तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित फीस संरचना तीन वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी और विश्वविद्यालय ऐसी फीस संरचना के अनुसार फीस प्रभारित करने का हकदार होगा।

(4) विश्वविद्यालय ऐसी फीस से भिन्न, जिसके लिए वह उप-धारा (3) के अधीन हकदार है, किसी भी नाम से कोई फीस प्रभारित नहीं करेगा।

**34. परीक्षाएं.**— प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ पर और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की 30 अगस्त तक न कि उसके पश्चात् विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची तैयार और प्रकाशित करेगा और उस अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा।

**स्पष्टीकरण.**— “परीक्षाओं की अनुसूची” से प्रत्येक प्रश्न पत्र, जो परीक्षा स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ के समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें प्रायोगिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा :



परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ रहा हो तो वह यथासंभव एक रिपोर्ट, उसमें प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी करेगी जो वह अनुसूची के अनुपालन के लिए उचित समझे।

**35. परिणामों की घोषणा.**— (1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा उस विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में ऐसे परिणाम ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैतालीस दिन के भीतर-भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय उपर्युक्त पैतालीस दिन की कालावधि के भीतर-भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है तो विश्वविद्यालय एक रिपोर्ट, उसमें विलम्ब के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी करेगी जो वह उचित समझे।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा के परिणाम केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराये जायेंगे कि विश्वविद्यालय ने धारा 34 या, यथास्थिति, धारा 35 में यथा-नियत समय अनुसूची का पालन नहीं किया है।

**36. दीक्षांत समारोह .**— विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति से आयोजित किया जायेगा।

**37. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन .**— विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (रा.नि.प्र.प.) के मानकों के अनुरूप रा.नि.प्र.प. से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और राज्य सरकार और ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रमों से संबद्ध हैं, रा.नि.प्र.प. द्वारा विश्वविद्यालय को दिये ग्रेड के बारे में सूचित करेगा। विश्वविद्यालय रा.नि.प्र.प. के मानकों के अनुरूप समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवायेगा।

**38. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का पालन किया जाना.**— इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी सभी सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवायेगा जिनकी उनके द्वारा उनके कृत्यों का निर्वहन और उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षा की जाये।

**39. वार्षिक रिपोर्ट.**— (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे और उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेंगी।

**40. वार्षिक लेखे और संपरीक्षा.**— (1) विश्वविद्यालय के तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखे प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किये जायेंगे।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) प्रबंध बोर्ड के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) उप-धारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक लेखे और तुलनपत्र की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेंगी। विश्वविद्यालय के लेखाओं और संपरीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत राज्य सरकार की राय, यदि कोई हो, प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखी जायेगी। प्रबंध बोर्ड ऐसे निदेश जारी करेगा जो वह उचित समझे और अनुपालन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट की जायेगी।

**41. राज्य सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां।—** (1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी अन्य विषय से संबंधित स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्हें वह उचित समझे, निरीक्षण करवायेगी।

(2) राज्य सरकार सुधार कार्रवाई के लिए ऐसे निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशों से विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधार उपाय अपनायेगा और सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बारे में प्रयास करेगा।

(3) यदि विश्वविद्यालय उप-धारा (2) के अधीन दी गयी सिफारिशों का अनुपालन युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर करने में विफल रहा है तो राज्य सरकार ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह ऐसे अनुपालन के लिए उचित समझे।

**42. राज्य सरकार की सूचना की अपेक्षा करने की शक्तियां।—** (1) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय से उसके कार्यकरण, कृत्यों, उपलब्धियों, शिक्षण स्तर, परीक्षा और अनुसंधान या ऐसे किन्हीं भी अन्य मामलों के संबंध में, जो वह विश्वविद्यालय की दक्षता के निर्णयन के लिए आवश्यक समझे, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जो नियमों द्वारा विहित किया जाये, सूचना की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित सूचना विहित समय के भीतर भिजवाने के लिए आबद्ध होगा।

**43. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन।—** (1) प्रायोजक निकाय राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को विहित रीति से इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम रूप से नोटिस देकर विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन राज्य सरकार के अनुमोदन और नियमित पाठ्यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे, या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।

**44. कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियां.—**

(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा राज्य सरकार को दिये गये किन्हीं भी परिवचनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तो वह विश्वविद्यालय को, पैतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए इस बारे में नोटिस जारी करेगी कि उसके परिसमापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस पर विश्वविद्यालय का जवाब प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये निदेश के अतिक्रमण का, या उसके द्वारा दिये गये परिवचनों का पालन बंद करने का या वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्ट्या मामला है तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी जो वह आवश्यक समझे।

(3) राज्य सरकार उप-धारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी अभिकथनों की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी जांच अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री जो साक्ष्य में पोषणीय हो, के प्रकटीकरण और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना ।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा ।

(6) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन जारी किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा दिये गये परिवर्तनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है तो वह विश्वविद्यालय के परिसमापन के आदेश करेगी और एक प्रशासक नियुक्त करेगी और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और अधिकारी उस प्रशासक के आदेश और निदेश के अधीन होंगे ।

(7) उप-धारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन समस्त शक्तियां होंगी और वह प्रबन्ध बोर्ड के समस्त कर्तव्यों के अधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूर्ण न कर ले और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे, या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान न कर दिये जायें ।

(8) नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों के अंतिम बैचों को उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात् प्रशासक इस प्रभाव की एक रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा ।

(9) उप-धारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जायेगा और विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व ऐसी तारीख से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।

**45. नियम बनाने की शक्ति.**— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**46. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.**— (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

**47. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.—** इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, आर्डिनेन्सों के उपबंध, उन मामलों के संबंध में जिनके बारे में राज्य विधान-मण्डल को विधि बनाने की अनन्य शक्तियां हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।

**48. निरसन और व्यावृत्तियां.—** (1) महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 13) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

## अनुसूची 1

## अवसंरचना

## 1. भूमि :

ग्राम कांट कालवाड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर के एस पी 2 और 3, कांट कालवाड़ रीको औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली रोड़ में समाविष्ट 47.47 एकड़ भूमि।

## 2. भवन :

## (i) प्रशासनिक खण्ड :

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 10

[इकाइयों का प्रवर्ग]	इकाइयों की सं.
कुलाधिपति कार्यालय	01
कुलपति कार्यालय	01
कुल-सचिव कार्यालय	01
परीक्षा नियंत्रक कार्यालय	01
वित्त नियंत्रक	01
प्रशासनिक कार्यालय	01
सम्मेलन कक्ष	01
आगतुक कक्ष	01
स्वागत कक्ष	01
अन्य सुविधाएं	01]

(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 1819 वर्ग मीटर

## (ii) शैक्षणिक खण्ड :

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 32

[इकाइयों का प्रवर्ग]	इकाइयों की सं.
कक्षाएं	14
पुस्तकालय	02
कार्यशाला	01
ड्राइंग हाल	01



प्रयोगशालाएं	10
संकाय कक्ष	02
छात्र कॉमन रूम	02]

(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 10,009 वर्ग मीटर

**(iii) निवासीय खण्ड:**

(क) अध्यापकों/ अधिकारियों के निवास :

(i) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 10 (निर्माणाधीन)

[इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की सं.
अध्यापक निवास	06
अधिकारी निवास	04]

(ii) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 5125 वर्ग मीटर

(ख) छात्र निवास :

(i) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 03 (निर्माणाधीन)

[इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की सं.
वार्डन निवास	01
छात्र छात्रावास	01
छात्रा छात्रावास	01]

(ii) आच्छादित क्षेत्र का माप : 6215 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र : 11828 वर्ग मीटर

**(iv) अन्य सुविधाएं :**

आडिटोरियम  
जलपान गृह  
सम्मेलन कक्ष  
श्रव्य दृश्य कक्ष  
छात्र कॉमन रूम  
जनित्र कक्ष  
सुरक्षा कार्यालय

## 3. संकाय :

आचार्य	04
सह-आचार्य	06
सहायक आचार्य	05

## 4. शैक्षणिक सुविधाएं :

## (i) पुस्तकालय :

क्र.सं.	शाखा	पुस्तकें	शीर्षक	इनसाइक्लोपीडिया
1.	अभियांत्रिकी	6465	1775	—
2	प्रबन्धन	1126	971	—
3	शिक्षा	3500	16	4
4.	फार्मेसी	1175	105	—
	<b>कुल</b>	<b>12266</b>	<b>2867</b>	<b>4</b>

## (ii) प्रयोगशालाएं : 11

कम्प्यूटर प्रयोगशाला	03
रसायन विज्ञान प्रयोगशाला	01
यांत्रिक प्रयोगशाला	01
इलेक्ट्रानिक्स और संचार प्रयोगशाला	01
ड्राइंग प्रयोगशाला	01
भाषा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला	01
श्रव्य दृश्य प्रयोगशाला	01
भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला	01
सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला	01

## (iii) वाचनालय : 02

## (iv) पत्र-पत्रिकाएं :

क्र.सं.	शाखा	पत्र-पत्रिकाएं
1	अभियांत्रिकी	36
2	प्रबन्धन	15
3	शिक्षा	17
4	फार्मेसी	12
	<b>कुल</b>	<b>80</b>

**(v) अन्य सुविधाएं :**

इंटरनेट संबंध के साथ कम्प्यूटर	110
लेपटॉप	04
एल.सी.डी.	03
फोटोकोपियर मशीन	01
फैक्स मशीन	01
ऑडिटोरियम	01
श्रव्य दृश्य कक्ष	01
सम्मेलन कक्ष	01
बसें	10
वाटर कूलर	04

**5. सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलापों के लिए सुविधाएं :****(i) इनडोर सुविधाएं :**

शतरंज  
कैरम  
टेबिल टेनिस  
योग और ध्यान  
एरोबिक्स

**(ii) आउटडोर सुविधाएं :**

वॉलीबाल  
थ्रो बॉल  
फुटबाल  
योग और ध्यान

## अनुसूची 2

शाखाएं जिनमें विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/स्नातक (आनर्स)/स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान करने के लिए अध्ययन और अनुसंधान का जिम्मा लेगा।

### 1. अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय

- इलेक्ट्रिकल और दूरसंचार
- कम्प्यूटर विज्ञान
- सूचना प्रौद्योगिकी
- यांत्रिक
- आटोमोबाइल
- मोबाइल दूरसंचार
- सिविल
- चर्म प्रौद्योगिकी
- प्रौद्योगिकी स्नातक और व्यापार प्रशासन स्नातकोत्तर
- प्रौद्योगिकी स्नातक और विधि स्नातक
- जैव प्रौद्योगिकी
- प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी स्नातक

### 2. कृषि संकाय

- जड़ी बूटी पादप, औषधीय पादप, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, रेशम उत्पादन में कृषि उपाधि
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन

### 3. प्रबन्धन संकाय

- व्यापार प्रशासन स्नातक
- व्यापार प्रबन्धन स्नातक
- व्यापार प्रबन्धन स्नातकोत्तर
  - (i) कृषि व्यापार प्रबन्धन
  - (ii) पर्यटन, इन्टीरियर और मीडिया

- (iii) अस्पताल प्रबन्धन
- (iv) विक्रय और विपणन, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार,  
लघु और मध्यम उद्यमों में डिप्लोमा

#### 4. विधि संकाय

- विधि स्नातक (स्नातक के पश्चात् 3 वर्ष)
- विधि स्नातक (10+2 के पश्चात् 5वर्ष)
- विधि स्नातकोत्तर
- साइबर विधि, श्रम विधि, दांडिक विधि में पाठ्यक्रम

#### 5. शिक्षा संकाय

- शिक्षा स्नातक
- शिक्षा स्नातकोत्तर
- शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

#### 6. सहबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संकाय

- फीजियोथेरेपी स्नातक
- फीजियोथेरेपी स्नातकोत्तर
- फार्मसी स्नातक
- फार्मसी स्नातकोत्तर
- चिकित्सीय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य विज्ञान में स्नातक
- नर्सिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि

#### 7. जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान संकाय

- जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक (एकीकृत)
- सूक्ष्म जीव विज्ञान में विज्ञान स्नातक (एकीकृत)
- जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर (एकीकृत)
- सूक्ष्म जीव विज्ञान में विज्ञान स्नातकोत्तर

#### 8. फैशन डिजाइन प्रौद्योगिकी संकाय

- फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी

9. **फिल्म प्रौद्योगिकी संकाय**

- फिल्म प्रौद्योगिकी

10. **मीडिया संकाय**

- फिल्म, फैशन और परफॉर्मिंग आर्ट, पत्रकारिता और जन संचार स्नातक, पत्रकारिता और जन संचार स्नातकोत्तर

11. **योग संकाय**

- योग
- ज्योतिष विद्या
- वास्तु

12. **विज्ञान संकाय**

- जीव विज्ञान में विज्ञान स्नातक
- गणित में विज्ञान स्नातक
- गृह विज्ञान में विज्ञान स्नातक
- विज्ञान स्नातक (आनर्स)
- जीव विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में विज्ञान स्नातकोत्तर

13. **वाणिज्य संकाय**

- वाणिज्य स्नातक
- वाणिज्य स्नातक(आनर्स)
- वाणिज्य स्नातक (ई-कॉम)
- वाणिज्य स्नातकोत्तर
- अन्तरराष्ट्रीय व्यापार स्नातकोत्तर

14. **कला संकाय**

- कला स्नातक
- कला स्नातक ( आनर्स )
- कला स्नातकोत्तर

अभियांत्रिकी, कृषि, प्रगत आर्थिक प्रबन्धन, विधि, शिक्षा, सहबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, मीडिया, योग, विज्ञान, वाणिज्य, और कला में पीएच.डी., एम.फिल./अनुसंधान।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके ;

ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, उच्चतर शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है ;

श्याम लाल पंवार आनन्दी देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर जो कि राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पूर्त न्यास है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रामनगर विस्तार, न्यू सांगानेर रोड़ सोडाला, जयपुर में स्थित है, विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगा हुआ है और ऐसी कई संस्थाएं चला रहा है जो प्रबन्धन, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, फार्मसी, नर्सिंग, शिक्षा इत्यादि जैसी शाखाओं में शिक्षा प्रदान कर रही हैं ;

उक्त श्याम लाल पंवार आनन्दी देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर ने राजस्थान राज्य में ग्राम कांट कालवाड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर में अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट, भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं और उक्त अवसंरचना का अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसंधान और अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में विनिधान के लिए सहमत हो गया है और इस अधिनियम के उपबंधों के

अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए एक करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है ;

उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर, विशेषाधिकारी, उच्चतर शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर और निदेशक, पोद्दार प्रबंधन संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर थे ;

राज्य सरकार की यह राय थी कि यदि पूर्वोक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त श्यामलाल पंवार आनन्दी देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर को विश्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के शैक्षणिक विकास में योगदान होगा ;

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 9 अक्टूबर, 2008 को महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 13) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण भाग 4 (ख) में दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित हैं।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शांति धारीवाल,  
प्रभारी मंत्री।



### प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 29 यदि अधिनियमित किया जाता है तो, विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के अनुमोदन से इसमें प्रगणित मामलों के संबंध में परिनियम और आर्डिनेन्स बनाने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 31 यदि अधिनियमित किया जाता है तो, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, उनके अपने कारबार के संचालन के लिए विनियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 41 यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को, ऐसी रीति के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा जिसमें विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।

विधेयक का खण्ड 42 यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को, उस रीति के संबंध में, जिससे विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय के संबंध में सूचना मंगवायी जा सकेगी, नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

शांति धारीवाल,  
प्रभारी मंत्री।

## राजस्थान विधान सभा

---

राजस्थान राज्य में महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

---

एच. आर. कुड़ी,  
सचिव।

(शान्ति धारीवाल, प्रभारी मंत्री)

**Bill No. 4 of 2009**

**THE MAHATMA JYOTI RAO PHOOLE UNIVERSITY,  
JAIPUR BILL, 2009**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

*(Authorised English Translation)*

**Bill No. 4 of 2009**

**THE MAHATMA JYOTI RAO PHOOLE UNIVERSITY,  
JAIPUR BILL, 2009**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

A

*Bill*

*to provide for establishment and incorporation of the Mahatma Jyoti Rao Phoole University, Jaipur in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.*

Whereas, with a view to keep pace with the rapid development in all spheres of knowledge in the world and the country, it is essential to create world level modern research and study facilities in the State to provide state of the art educational facilities to the youth at their door steps so that they can make out of them human resources compatible to liberalized economic and social order of the world;

And whereas, rapid advancement in knowledge and changing requirements of human resources makes it essential that a resourceful and quick and responsive system of educational research and development be created which can work with entrepreneurial zeal under an essential regulatory setup and such a system can be created by allowing the private institutions engaged in higher education having sufficient resources and experience to establish universities and by incorporating such universities with such regulatory provisions as ensure efficient working of such institutions;

And whereas, the Shyam Lal Panwar Anandi Devi Memorial Charitable Trust, Jaipur, a Charitable Trust registered under the Rajasthan Public Trusts Act, 1959 (Rajasthan Act No. 42 of 1959) having its registered office at Ram Nagar Ext., New Sanganer Road, Sodala, Jaipur, is engaged in the field of education for last several years and is running a number of educational

institutions which are imparting education in the disciplines like management, engineering & technology, pharmacy, nursing, education, etc.;

And whereas, the said Shyam Lal Panwar Anandi Devi Memorial Charitable Trust, Jaipur has set up educational infrastructures, both physical and academic, as specified in Schedule I, at village Kant Kalwar, Tehsil Amer, District Jaipur in the State of Rajasthan and has agreed to invest the said infrastructure in a University for research and studies in the disciplines specified in Schedule II and has also deposited an amount of rupees one crore to be utilized in establishment of an endowment fund in accordance with the provisions of this Act;

And whereas, the sufficiency of the above infrastructure has been got enquired into by a committee, appointed in this behalf by the State Government consisting of the Vice-chancellor, University of Bikaner, Bikaner, Officer on Special Duty, Higher Education, Government of Rajasthan, Jaipur, Dean, Faculty of Law, University of Rajasthan, Jaipur, Dean, Faculty of Education, University of Rajasthan, Jaipur, Principal, Engineering College, Bikaner and Director, Poddar Institute of Management, University of Rajasthan, Jaipur;

And whereas, if the aforesaid infrastructure is utilized in incorporation as a University and the said Shyam Lal Panwar Anandi Devi Memorial Charitable Trust, Jaipur is allowed to run the University, it would contribute in the academic development of the people of the State;

Now, therefore, be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.**— (1) This Act may be called the Mahatma Jyoti Rao Phoolle University, Jaipur Act, 2009.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 9<sup>th</sup> October, 2008.

**2. Definitions.**— In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "AICTE" means All India Council of Technical Education established under All India Council of Technical Education Act, 1987 (Central Act No. 52 of 1987);
- (b) "CSIR" means the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi- a funding agency of the Central Government;
- (c) "DEC" means the Distance Education Council established under section 28 of Indira Gandhi National Open University Act, 1985 (Central Act No. 50 of 1985);
- (d) "Distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;
- (e) "DST" means the Department of Science and Technology of the Central Government;
- (f) "employee" means a person appointed by the University to work in the University and includes teachers, officers and other employees of the University;
- (g) "fee" means collection made by the University from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

- (h) "Government" means the State Government of Rajasthan;
- (i) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;
- (j) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions or centers, maintained or recognized to be as such by the University;
- (k) "ICAR" means the Indian Council of Agriculture Research, a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860);
- (l) "MCI" means Medical Council of India constituted under section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act No. 102 of 1956);
- (m) "NAAC" means the National Assessment and Accreditation Council, Bangalore, an autonomous institution of the UGC;
- (n) "NCTE" means the National Council of Teacher Education constituted under section 3 of the National Council of Teacher Education Act, 1993 (Central Act No. 73 of 1993);
- (o) "off campus centre" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;
- (p) "PCI" means Pharmacy Council of India constituted under section 3 of the Pharmacy Act, 1948 (Central Act No. 8 of 1948);

- (q) "prescribed" means prescribed by Statutes made under this Act;
- (r) "regulating body" means a body established or constituted by or under any law for the time being in force laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as UGC, AICTE, NCTE, MCI, PCI, NAAC, ICAR, DEC, CSIR etc. and includes the State Government;
- (s) "rules" means the rules made under this Act;
- (t) "Schedule" means the Schedule to this Act;
- (u) "Sponsoring Body" means the Shyam Lal Panwar Anandi Devi Memorial Charitable Trust, Jaipur, a Charitable Trust registered under the Rajasthan Public Trusts Act, 1959 (Act No. 42 of 1959) having Registration No. 47, Jaipur, 2003 dated 24.11.2003;
- (v) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;
- (w) "student of the University" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted by the University, including a research degree;
- (x) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;
- (y) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any other form to



the students for pursuing a course of study of the University;

- (z) "UGC" means the University Grants Commission, established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act No. 3 of 1956); and
- (za) "University" means the Mahatma Jyoti Rao Phoole University, Jaipur.

**3. Incorporation.**— (1) The first Chancellor and the first Vice-chancellor of the University and the first members of the Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of Mahatma Jyoti Rao Phoole University, Jaipur.

(2) The movable and immovable property specified in the Schedule I shall be vested in the University and the Sponsoring Body shall, immediately after commencement of this Act, take steps for such vesting.

(3) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(4) The University shall situate and have its headquarters at village Kant Kalwar, Tehsil Amer, District Jaipur.

**4. The objects of the University.**— The objects of the University shall be to undertake research and studies in the disciplines specified in Schedule II and such other disciplines as the University may with the prior approval of the State Government, determine from time to time and to achieve excellence and impart and disseminate knowledge in the said disciplines.

**5. Powers and functions of the University.**— The University shall have the following powers and functions, namely:-

- (a) to provide for instruction in the disciplines specified in Schedule II and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
- (b) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificate, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;
- (c) to organize and to undertake extra-mural studies and extension service;
- (d) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed;
- (e) to provide instruction, including correspondence and such other courses, as it may determine;
- (f) to institute Professorships, Readerships, Lecturerships and other teaching or academic posts required by the University and to make appointment thereto;
- (g) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;
- (h) to appoint persons working in any other university or organization having specific knowledge permanently or for a specified period;
- (i) to co-operate, collaborate or associate with any other university or authority or institution in such manner and for such purpose as the University may determine;
- (j) to establish study centers and maintain schools, institutions and such centers, specialized laboratories or

other units for research and instructions as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its object;

- (k) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (l) to establish and maintain hostels for students of the University;
- (m) to make provisions for research and consultancy, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;
- (n) to determine standards for admission into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing;
- (o) to demand and receive payment of fees and other charges;
- (p) to supervise the residences of the students of the University and to make arrangements for the promotion of their health and general welfare;
- (q) to make special arrangements in respect of women students as the University may consider desirable;
- (r) to regulate and enforce discipline among the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary by the University;
- (s) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;
- (t) to receive donations and acquire, hold, manage and dispose of any movable or immovable property;
- (u) to borrow money with the approval of the Sponsoring Body for the purposes of the University;

- (v) to mortgage or hypothecate the property of the University with the approval of the Sponsoring Body;
- (w) to establish examination centers;
- (x) to ensure that the standard of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by AICTE, NCTE, UGC, MCI, PCI and other similar bodies established by or under any law for the time being in force for the regulation of education;
- (y) to set up off campus centre within or without the State, subject to the provisions of any other law for the time being in force; and
- (z) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

**6. University to be self-financed.**— The University shall be self-financed and shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the State Government.

**7. No power of affiliation.**— The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

**8. Endowment Fund.**— (1) There shall be established an Endowment Fund, as soon as may be after coming into force of this Act with an amount of rupees one crore which has been deposited by the Sponsoring Body with the State Government.

(2) The Endowment Fund shall be used as security deposit to ensure that the University complies with the provisions of this Act and functions as per provisions of this Act, Statutes and Ordinances. The State Government shall have the powers to forfeit in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the Sponsoring Body contravenes any of the provisions of this Act or Statutes, Ordinances, Regulations or Rules made thereunder.

(3) Income from the Endowment Fund may be utilised for development of infrastructure of the University but shall not be utilised to meet out the recurring expenditure of the University.

(4) The amount of the Endowment Fund shall be invested and kept invested until the dissolution of the University in long term securities issued or guaranteed by the State Government or deposited and kept deposited until the dissolution of the University in the interest bearing Personal Deposit Account of the Sponsoring Body in the Government Treasury.

(5) In case of investment in long term security, the certificates of the securities shall be kept in the safe custody of the State Government and in case of deposit in the interest bearing Personal Deposit Account in Government Treasury, the deposit shall be made with the condition that the amount shall not be withdrawn without the permission of the State Government.

**9. General Fund.**— The University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:-

- (a) fees and other charges received by the University;
- (b) any contributions made by the Sponsoring Body;
- (c) any income received from consultancy and other work undertaken by the University in pursuance of its objectives;
- (d) trusts, bequests, donations, endowments and any other grants; and
- (e) all other sums received by the University.

**10. Application of General Fund.**— The General Fund shall be utilized for meeting all expenses, recurring or non-recurring in connection with the affairs of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure

and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without the prior approval of the Board of Management.

**11. Officers of the University.**—The following shall be the officers of the University, namely:—

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-chancellor;
- (iii) the Pro-Vice-chancellor;
- (iv) the Provost;
- (v) the Proctor;
- (vi) the Deans of Faculties;
- (vii) the Registrar;
- (viii) the Chief Finance and Accounts Officer; and
- (ix) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

**12. The Chancellor.**— (1) The Chancellor shall be appointed by the Sponsoring Body with the consent of the State Government for a period of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for re-appointment:

Provided that a Chancellor shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon the office.

(2) Any vacancy in the office of Chancellor shall be filled within six months from the date of such vacancy.

(3) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the head of the University.

(4) The Chancellor shall, if present, preside at the meetings of the Board of Management and at the convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(5) The Chancellor shall have the following powers, namely:-

- (a) to call for any information or record in connection with the affairs of the University;
- (b) to appoint the Vice-chancellor;
- (c) to remove the Vice-chancellor in accordance with the provisions of sub-section (8) of section 13; and
- (d) such other powers as may be prescribed by the Statutes.

**13. The Vice-chancellor.**— (1) The Vice-chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Board of Management and shall, subject to the provisions contained in sub-section (8), hold office for a term of three years:

Provided that, after expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

Provided further that a Vice-chancellor shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon the office.

(2) Any vacancy in the office of Vice-chancellor shall be filled within six months from the date of such vacancy.

(3) The Vice-chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of the authorities of the University.

(4) The Vice-chancellor shall preside at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(5) If in the opinion of the Vice-chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are

conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-chancellor then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final:

Provided further that where any such action taken by the Vice-chancellor affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Board of Management and the Board of Management may confirm or modify or reverse the action taken by the Vice-chancellor.

(6) If, in the opinion of the Vice-chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or Statutes, Ordinances, Regulations or Rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall direct the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of its decision and in case the authority refuses or fails to revise such decision, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(7) The Vice-chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

(8) If the Chancellor is satisfied, on an enquiry made or caused to be made on a representation made to him or otherwise, that the continuance of Vice-chancellor in his office is prejudicial to the interest of the University or the situation so warrants, he



may, by an order in writing and stating the reasons therein for doing so, ask the Vice-chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Vice-chancellor shall be given an opportunity of being heard.

**14. The Pro-Vice-chancellor.**— (1) The Pro-Vice-chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the Vice-chancellor.

(2) The Pro-Vice-chancellor shall hold office for a period of three years and shall be eligible for re-appointment for a second term.

(3) The conditions of service of the Pro-Vice-chancellor shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(4) If the Chancellor is satisfied, on an enquiry made or caused to be made on a representation made to him or otherwise, that the continuance of Pro-Vice-chancellor in his office is prejudicial to the interest of the University or the situation so warrants, he may, by an order in writing and stating the reasons therein for doing so, ask the Pro-Vice-chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Pro-Vice-chancellor shall be given an opportunity of being heard.

(5) The Pro-Vice-chancellor shall assist the Vice-chancellor in such matters as are assigned to him by the Vice-chancellor from time to time and shall exercise such powers and perform such functions as may be delegated to him by the Vice-chancellor.

**15. The Provost.**— (1) The Provost shall be appointed by the Vice-chancellor for such period and in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Provost shall ensure discipline in the University and shall keep the various unions of the teachers and employees advised of the various policies and practices in the University.

(3) The Provost shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

**16. The Proctor.**— (1) The Proctor shall be appointed by the Vice-chancellor for such period and in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Proctor shall be responsible for the maintenance of discipline among the students and keep the various students' unions advised of the various policies and practices in the University.

(3) The Proctor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

**17. The Dean of Faculty.**— (1) There shall be a Dean of each Faculty who shall be appointed by the Vice-chancellor for a period of three years in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Dean shall convene meetings of the faculty, as and when required, in consultation with the Vice-chancellor and shall preside over the same. He shall formulate the policies and development programme of the faculty and present the same to the appropriate authorities for their consideration.

(3) The Dean of Faculty shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

**18. The Registrar.**— (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor, in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) All contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the University.

(3) The Registrar shall be the Member Secretary of the Board of Management and Academic Council but he shall not have a right to vote.

(4) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

**19. The Chief Finance and Accounts Officer.**— (1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Vice-chancellor in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

**20. Other officers.**— (1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment and powers and functions of such officers shall be such as may be prescribed by the Statutes.

**21. Authorities of the University.**— The following shall be the authorities of the University, namely:-

- (i) the Board of Management;
- (ii) the Academic Council;
- (iii) the Faculties; and
- (iv) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

**22. The Board of Management.**— (1) The Board of Management of the University shall consist of the following, namely:-

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-chancellor;
- (c) five persons nominated by the Sponsoring Body out of whom two shall be eminent educationists;

- (d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;
- (e) one expert of finance, nominated by the Chancellor;
- (f) Commissioner, College Education or his nominee not below the rank of Deputy Secretary; and
- (g) two teachers, nominated by the Vice-chancellor.

(2) The Board of Management shall be the principal executive body of the University. All the movable and immovable property of the University shall vest in the Board of Management. It shall have the following powers, namely:-

- (a) to provide general superintendence and directions and to control the functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the Statutes, Ordinances, Regulations or Rules made thereunder;
- (b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the Statutes, Ordinances, Regulations or Rules made thereunder;
- (c) to approve the budget and annual report of the University;
- (d) to lay down the policies to be followed by the University;
- (e) to recommend to the Sponsoring Body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible, in spite of all efforts; and
- (f) such other powers as may be prescribed by the Statutes.

(3) The Board of Management shall meet at least three times in a calendar year.

(4) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

**23. The Academic Council.**— (1) The Academic Council shall consist of the Vice-chancellor and such other members as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Vice-chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the Rules, Regulations, Statutes or Ordinances, made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be prescribed by the Statutes.

**24. Other authorities.**— The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes.

**25. Disqualification for membership of an authority.**— A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities of the University, if he-

- (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (b) is an undischarged insolvent;
- (c) has been convicted of any offence involving moral turpitude;
- (d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or
- (e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

**26. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority of the University.**— No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

**27. Filling up of emergent vacancies.**— Any vacancies occurred in the membership of authorities of the University due to death, resignation or removal of a member or due to change of capacity in which he was appointed or nominated, shall be filled up as early as possible by the person or the body who had appointed or nominated such a member:

Provided that the person appointed or nominated as a member of an authority of the University on an emergent vacancy, shall remain member of such authority for only the remaining period of the member, in whose place he is appointed or nominated.

**28. Committee.**— The authorities or officers of the University may constitute such committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees. The constitution of such committees and their duties shall be such as may be prescribed by the Statutes.

**29. The Statutes.**— (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the constitution, powers and functions of the authorities of the University as may be constituted from time to time;
- (b) the terms and conditions of appointment of the Vice-chancellor and his powers and functions;
- (c) the manner and terms and conditions of appointment of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

- (d) the manner in which and the period for which the Provost and the Proctor shall be appointed and their powers and functions;
- (e) the manner in which the Dean of Faculty shall be appointed and his powers and functions;
- (f) the manner and terms and conditions of appointment of other officers and teachers and their powers and functions;
- (g) the terms and conditions of service of employees of the University and their functions;
- (h) the procedure for arbitration in case of disputes between officers, teachers, employees and students;
- (i) the conferment of honorary degrees;
- (j) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;
- (k) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;
- (l) provisions regarding fees to be charged from students;
- (m) provisions regarding number of seats in different courses;
- (n) creation of new authorities of the University;
- (o) accounting policy and financial procedure;
- (p) creation of new departments and abolition or restructuring of existing departments;
- (q) institution of medals and prizes;
- (r) creation of posts and procedure for abolition of posts;
- (s) revision of fees;
- (t) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(u) all other matters which under the provisions of this Act are required to be, or may be, prescribed by the Statutes.

(2) The Statutes of the University shall be made by the Board of Management and shall be submitted to the State Government for its approval.

(3) The State Government shall consider the Statutes, submitted by the University and shall give its approval thereon within two months from the date of its receipt with such modifications, if any, as it may deem necessary.

(4) The University shall communicate its agreement to the Statutes as approved by the State Government, and if it desires not to give effect to any or all of the modifications made by the State Government under sub-section (3), it may give reasons therefor and after considering such reason, the State Government may or may not accept the suggestions made by the University.

(5) The State Government shall publish the Statutes, as finally approved by it, in the Official Gazette, and thereafter, the Statutes shall come into force from the date of such publication.

**30. The Ordinances.**— (1) Subject to the provisions of this Act or Statutes made thereunder, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
- (b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;
- (c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the measures to be taken relating to the granting and obtaining of the same;



- (d) the conditions for award of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;
- (e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (f) fees to be charged for the courses, examinations, degrees and diplomas of the University;
- (g) the conditions of residence of the students of the University;
- (h) provision regarding disciplinary action against the students;
- (i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;
- (j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and
- (k) all other matters which by this Act or Statutes made thereunder are required to be provided by the Ordinances.

(2) The Ordinances of the University shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management, shall be submitted to the State Government for its approval.

(3) The State Government shall consider the Ordinances submitted under sub-section (2) within two months from the date of their receipt and shall either approve them or give suggestions for modifications therein.

(4) The Academic Council shall either modify the Ordinances incorporating the suggestion of the State Government or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the State Government and shall return the Ordinances alongwith

such reasons, if any, to the State Government and on receipt of the same, the State Government shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the Ordinances of the University with or without such modifications.

**31. Regulations.**— The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act and the Rules, Statutes and the Ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and that of the committees appointed by them.

**32. Admissions.**— (1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at the State level either by an association of the universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Reservation in admission to the University for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes, women and handicapped persons shall be provided as per the policy of the State Government.

**33. Fee structure.**— (1) The University may, from time to time, prepare its fees structure and sent it for approval of the committee constituted for the purpose.

(2) The committee shall consider the fees structure prepared by the University and if it is satisfied that the proposed fees is-

(a) sufficient for :-

(i) generating resources for meeting the recurring expenditure of the University; and

(ii) the savings required for the further development of the University; and

(b) not unreasonably excessive, it may approve the fees structure.

(3) The fees structure approved by the committee under sub-section (2) shall remain in force for three years and the University shall be entitled to charge fees in accordance with such fees structure.

(4) The University shall not charge any fees, by whatever name called, other than that for which it is entitled under sub-section (3).

**34. Examinations.**— At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a schedule of examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to the schedule.

**Explanation.**— "Schedule of Examination" means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a scheme of examinations and shall also include the details about the practical examinations:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University has been unable to follow this schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the State Government incorporating the reasons for making a departure from the published schedule. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for the compliance of the schedule.

**35. Declaration of results.**— (1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for that particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the aforesaid period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the reasons for such delay to the State Government. The State Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the time schedule as stipulated in section 34 or, as the case may be, in section 35.

**36. Convocation.**— The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be prescribed by the Statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

**37. Accreditation of the University.**— The University shall obtain accreditation from the NAAC, as per the norms of the NAAC and inform the State Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by the NAAC to the University. The University shall get renewed such accreditation from time to time as per the norms of the NAAC.

**38. University to follow rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies.**— Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

**39. Annual report.**— (1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and copy of the same shall be submitted to the Sponsoring Body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the State Government.

**40. Annual accounts and audit.**— (1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Board of Management.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Board of Management shall be submitted to the Sponsoring Body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the State Government. The advice of the State Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Board of Management. The Board of Management shall issue such directions, as it may deem fit and compliance shall be reported to the State Government.

**41. Powers of the State Government to inspect the University.**— (1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the State Government may cause an inspection, to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The State Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such inspection for corrective action. The University shall adopt such corrective measures and make efforts so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University has failed to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the State Government may give such directions as it may deem fit for such compliance.

**42. Powers of the State Government to call for information.**— (1) The State Government may call for information from the University relating to its working, functions, achievements, standard of teaching, examination and research or any other matters as it may consider necessary to judge the efficiency of the University in such form and within such time as may be prescribed by rules.

(2) The University shall be bound to furnish the information as required by the State Government under sub-section (1) within the prescribed time.

**43. Dissolution of the University by the Sponsoring Body.**— (1) The Sponsoring Body may dissolve the University by giving a notice to the effect in the prescribed manner to the State Government and the employees and the students of University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the approval of the State Government and the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the Sponsoring Body.

**44. Special powers of the State Government in certain circumstances.**— (1) If it appears to the State Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the Rules, Statutes or Ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to

carryout any undertakings given by it to the State Government or a situation of financial mismanagement or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty-five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the State Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening any of the provisions of this Act or the Rules, Statutes or Ordinances made thereunder or of violating directions issued by it under this Act or of ceasing to carryout the undertakings given by it or of financial mismanagement or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The State Government shall, for the purposes of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence; and
- (c) requisitioning any public record from any court or office.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub-section (3), if the State Government is

satisfied that the University has contravened any of the provisions of this Act or the Rules, Statutes or Ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carryout the undertakings given by it or a situation of financial mismanagement and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall make orders for liquidation of the University and appoint an administrator and thereupon the authorities and officers of the University shall be subject to the order and direction of the administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards as the case may be.

(8) After having been awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to the effect to the State Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the State Government shall, by a notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification the University shall stand dissolved and all the assets and liabilities of the University shall vest in the Sponsoring Body from such date.

**45. Power to make rules.**— (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than



fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

**46. Power to remove difficulties.**— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, shall be laid before the House of the State Legislature.

**47. The Act to have overriding effect.**— The provisions of this Act and the Rules, Statutes, Ordinances made thereunder shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, for the time being in force, relating to the matters in respect of which the State Legislature has exclusive power to make laws.

**48. Repeal and savings.**— (1) The Mahatma Jyoti Rao Phoole University, Jaipur Ordinance, 2008 (Ordinance No. 13 of 2008) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

**SCHEDULE I**  
**Infrastructure**

**1. Land :**

47.47 Acres of land comprising in SP 2 & 3, Kant Kalwar, RIICO Industrial area, Delhi Road, Jaipur of Village Kant Kalwar, Tehsil Amer, District Jaipur.

**2. Building :**

**(i) Administrative Block:**

(a) Number & Category of Units : 10

<b>[Category of Units</b>	<b>No. of Units</b>
Chancellor's Office	01
Vice-chancellor's Office	01
Registrar's Office	01
Controller of Examination Office	01
Controller of Finance	01
Administrative Office	01
Conference Hall	01
Visitor's Room	01
Reception	01
Other Amenities	01]

(b) Measurement of Total Covered area: 1819 Sq.Mtr.

**(ii) Academic Block:**

(a) Number & category of Units : 32

<b>[Category of Units</b>	<b>No.of Units</b>
Class Rooms	14
Library	02
Workshop	01
Drawing Hall	01
Laboratories	10
Faculty Room	02
Student's Common Room	02]

(b) Measurement of total area : 10,009 Sq.Mtr.

**(iii) Residential Block :****(a) Teachers/ Officers Residence**

(i) No. of Category of Units: 10 (Under Construction)

<b>[Category of Units</b>	<b>No. of Units</b>
Teacher's Residence	06
Officers Residence	04 ]

(ii) Measurement of total covered area : 5125 Sq. Mtr.

**(b) Students Residence**

(i) No. &amp; Category of Units: 03 (Under Construction)

<b>[Category of Units</b>	<b>No. of Units</b>
Warden's Residence	01
Boys Hostel	01
Girls Hostel	01 ]

(ii) Measurement of Total Covered Area : 6215 Sq. Mtr.

**Total Built up area - 11828 Sq. mtr.****(iv) Other Facilities**

Auditorium  
 Canteen  
 Conference Hall  
 Audio visual Hall  
 Student's Common Room  
 Generator Room  
 Security Office

**3. Faculty:**

Professors	4
Associate Professors	6
Assistant Professors	5

**4. Academic Facilities:****(i) Library :**

<b>S.No.</b>	<b>Branch</b>	<b>Books</b>	<b>Titles</b>	<b>Encyclopedia</b>
1.	Engineering	6465	1775	-
2.	Management	1126	971	-

3.	Education	3500	16	4
4.	Pharmacy	1175	105	-
	<b>Total</b>	<b>12266</b>	<b>2867</b>	<b>4</b>

**(ii) Laboratories : 11**

Computer Laboratory	03
Chemistry Laboratory	01
Mechanical Laboratory	01
Electronics & Communication Laboratory	01
Drawing Laboratory	01
Language Technology Laboratory	01
Audio – visual Laboratory	01
Physics Laboratory	01
Information Technology Laboratory	01

**(iii) Reading Room : 02****(iv) Journals :**

S. No.	Branch	Journals
1.	Engineering	36
2.	Management	15
3.	Education	17
4.	Pharmacy	12
	<b>Total</b>	<b>80</b>

**(v) Other Facilities :**

Computers with Internet Connection	110
Laptops	04
L.C.D.	03
Photocopier Machine	01
Fax Machine	01
Auditorium	01
Audio-Visual Hall	01
Conference Hall	01
Buses	10
Water Coolers	04

**5. Facilities for Co-curricular activities**

**(i) Indoor Facilities :**

Chess

Carrom Board

Table Tennis

Yoga & Meditation

Aerobics

**(ii) Outdoor Facilities :**

Volley Ball

Throw Ball

Foot Ball

Yoga & Meditation

## **SCHEDULE – II**

Disciplines in which University shall undertake study and research for awarding Certificate/Diploma/Bachelor (Honours)/Bachelor of Master's Degree in faculties mentioned below.

### **1. Faculty of Engineering & Technology**

- Electrical & Tele Communication
- Computer Science
- Information Technology
- Mechanical
- Automobile
- Mobile telecommunication
- Civil
- Leather Technology
- Bachelor of Technology & Master of Business Administration
- Bachelor of Technology & Bachelor of Laws
- Biotechnology
- Bachelor of Technology in plastic Engineering & Technology

### **2. Faculty of Agriculture**

- Agriculture Degree in Herbal Plants, Medicinal Plants, Agri-biotech, Sericulture
- Agri-technology Management

### **3. Faculty of Management**

- Bachelor of Business Administration
- Bachelor of Business Management
- Master of Business Administration
  - (i) Agri-Business Management
  - (ii) Tourism, Interior & Media
  - (iii) Hospital Management
  - (iv) Diploma in sales & Marketing, International Business, Small and Medium Enterprises

**4. Faculty of Law**

- Bachelor of Laws (3 Years, after Graduation)
- Bachelor of Laws (5 Years, after 10+2)
- Master of Laws
- Courses in Cyber Laws, Labour Laws, Criminal Laws

**5. Faculty of Education**

- Bachelor of Education
- Master of Education
- Teacher's training Programmes for Physically Disabled
- Teacher's training Programmes for others

**6. Faculty of Allied Health Science**

- Bachelor of Physiotherapy
- Masters of Physiotherapy
- Bachelor of Pharmacy
- Masters of Pharmacy
- Bachelor in Medical Lab-Technology, Health Sciences
- Bachelor and Master Degree in Nursing

**7. Faculty of Biotechnology, Microbiology**

- Bachelor of Science in Biotechnology (Integrated)
- Bachelor of Science in Microbiology (Integrated)
- Master of Science in Biotechnology (Integrated)
- Master of Science in Microbiology

**8. Faculty of Fashion Design Technology**

- Fashion Design & Technology

**9. Faculty of film Technology**

- Film Technology

**10. Faculty of Media**

- Film, Fashion, Performing Art, Bachelor of Journalism & Mass Communication, Master of Journalism & Mass Communication

**11. Faculty of Yoga**

- Yoga
- Jyotish Vidhya
- Vastu

**12. Faculty of Science**

- Bachelor of Science in Biology
- Bachelor of Science in Mathematics
- Bachelor of Science in Home Science
- Bachelor of Science (Honours)
- Master of Science in Biology, Mathematics, Physics & Chemistry

**13. Faculty of Commerce**

- Bachelor of Commerce
- Bachelor of Commerce (Honours)
- Bachelor of Commerce (E.Com.)
- Master of Commerce
- Master of International Business

**14 Faculty of Arts**

- Bachelor of Arts
- Bachelor of Arts (Honours)
- Master of Arts

Ph.D., M. Phil/Research in Engineering, Agriculture, Advanced Economic Management, Laws, Education, Allied Health Science, Biotechnology, Microbiology, Media, Yoga, Science, Commerce and Arts.



## **STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

With a view to keep pace with the rapid development in all spheres of knowledge in the world and the Country, it was essential to create world level modern research and study facilities in the State to provide state of the art educational facilities to the youth at their door steps so that they could make out of them human resources compatible to liberalized economic and social order of the world.

Rapid advancement in knowledge and changing requirements of human resources made it essential that a resourceful and quick and responsive system of educational research and development be created which could work with entrepreneurial zeal under an essential regulatory setup and such a system could be created by allowing the private institutions engaged in higher education having sufficient resources and experience to establish universities and by incorporating such universities with such regulatory provisions as ensure efficient working of such institutions.

The Shyam Lal Panwar Anandi Devi Memorial Charitable Trust, Jaipur, a Charitable Trust registered under the Rajasthan Public Trusts Act, 1959 (Rajasthan Act No. 42 of 1959) having its registered office at Ram Nagar Ext., New Sanganer Road, Sodala, Jaipur, is engaged in the field of education for last several years and is running a number of educational institutions which are imparting education in the disciplines like management, engineering & technology, pharmacy, nursing, education, etc.

The said Shyam Lal Panwar Anandi Devi Memorial Charitable Trust, Jaipur has set up educational infrastructures, both physical and academic, as specified in Schedule I, at Village Kant Kalwar, Tehsil Amer, District Jaipur in the State of Rajasthan and has agreed to invest the said infrastructure in a University for research and studies in the disciplines specified in Schedule II; and has also deposited an amount of rupees one crore to be utilized in establishment of an endowment fund in accordance with the provisions of this Act.

The sufficiency of the above infrastructure had been got enquired into by a committee, appointed in this behalf by the State

Government consisting of the Vice-chancellor, University of Bikaner, Bikaner, Officer on Special Duty, Higher Education, Government of Rajasthan, Jaipur, Dean, Faculty of Law, University of Rajasthan, Jaipur, Dean, Faculty of Education, University of Rajasthan, Jaipur, Principal, Engineering College, Bikaner and Director, Poddar Institute of Management, University of Rajasthan, Jaipur.

The State Government was of the view that if the aforesaid infrastructure is utilized in incorporation as a University and the said Shyam Lal Panwar Anandi Devi Memorial Charitable Trust, Jaipur is allowed to run the University, it would contribute in the academic development of the people of the State.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Mahatma Jyoti Rao Phoole University, Jaipur Ordinance, 2008 (Ordinance No. 13 of 2008), on 9th October, 2008, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 10th October, 2008.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

शांति धारीवाल,  
**Minister Incharge.**

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED  
LEGISLATION**

Clause 29 of the Bill, if enacted, shall empower the University to make, with the approval of the State Government, Statutes and Ordinances with regard to matters enumerated therein.

Clause 31 of the Bill, if enacted, shall empower the authorities of the University to make, with the prior approval of the Board of Management, regulations for conduct of their own business.

Clause 41 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules, with respect to the manner in which inspection of the University may be made.

Clause 42 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to the manner in which the information relating to the University may be called from the University.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of details.

शांति धारीवाल,  
**Minister Incharge.**

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

A

*Bill*

*to provide for establishment and incorporation of the Mahatma Jyoti Rao Phoole University, Jaipur in the State of Rajasthan and matters connected there with and incidental thereto.*

---

*(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)*

---

**H.R. KURI,**  
**Secretary.**

**(SHANTI DHARIWAL, Minister - Incharge)**